

20/2/26.

पत्रा. पेश ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया

प्र. पत्र शर के साथ-वकी ने

S. 188 R.T. Act के तहत व

प्रतिवादी ने S. 251-A RTA में

शास्त्री के लिए case कर रहे हैं

नन्दा बमाम गोपाल 251-A RTA

के तहत के नैका रिपोर्ट संलग्न

हैं। उससे यह स्पष्ट होता है

कि नन्दा (असरा स. 316)

वादी की जमीन (खसरा सं. 9) से
अपनी जमीन पर जाती-जाती है।
TDR रिपोर्ट के अनुसार खसरा सं.
9 वादी के नाम है वह उन्हीं के
कब्जे में है।

Sec. 212 में अपूर्याधि क्षति की
संभावना वादी को पूर्ण करनी
होती है जो कि इस वाद में
prove नहीं हो रही है। न ही
भूमि का विनाश और न ही
भूमि हस्तांतरण होने की संभावना
है।

अतः सारे तथ्यों को देखकर वादी
का प्र. पत्र Sec. 212 स्वीकार नहीं किया
जा सकता।

प्रार्थना पत्र चारिज हो।
फैसल सुमार होकर दाखिल नफ्तार हो।
निर्णय आज दिनांक 20/2/26 को मेरे
द्वारा सुनाया गया।

Che
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डली